

(कार्यालय उपयोग हेतु)

राजस्थान सरकार

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

उद्यानिकी विकास कार्यक्रम

दिशा–निर्देश

2016–17



## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	कार्यक्रम	पेज संख्या
1	सामान्य निर्देश	1-2
2	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन	3-6
3	नये उद्यानों की स्थापना	7-12
I	फल बगीचों की स्थापना	7-9
II	मशरूम उत्पादन	9-10
III	फूलों के नये बगीचों की स्थापना	10-11
IV	मसाला फसलों के बगीचों की स्थापना	11
4	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	12
5	जलस्रोत का विकास	13-16
6	संरक्षित कृषि	17-23
(क)	ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस स्थापना	17-19
(ख)	प्लास्टिक मल्विंग	19-20
(ग)	प्लास्टिक टनल	20
(घ)	एन्टी बर्ड नेट	20-21
(ङ)	पोली हाउस में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों की पौध	21-23
7	समन्वित कीट/पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना	24
8	वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	25-26
9	मधुमक्खी पालन	27-29
10	उद्यानिकी में यांत्रिकरण	30-31
11	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	32-33
12	समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन	34-35
13	सेमीनार/वर्कशॉप	35
14	अनुदान/सहायता प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट-1
15	फलदार पौधों की जीवितता हेतु सत्यापन प्रपत्र	परिशिष्ट-2
16	आदान परमिट प्रपत्र	परिशिष्ट-3
17	लो टनल के मापदण्ड	परिशिष्ट-4
18	प्लास्टिक मल्व के मापदण्ड	परिशिष्ट-5
19	जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की सांकेतिक	परिशिष्ट-6
20	हाई वैल्यू वैजिटेबल्स की सांकेतिक लागत	परिशिष्ट-7
21	आईपीएम सिफारिशें	परिशिष्ट-8
22	आईपीएम सांकेतिक लागत मॉड्यूल	परिशिष्ट-9
23	जैविक खेती कार्यक्रम अनुबंध प्रपत्र	परिशिष्ट-10
24	मधुमक्खी कॉलोनी के स्पेसिफिकेशन	परिशिष्ट-11
25	मधुमक्खी माइग्रेशन प्रमाण पत्र अधिकृति आदेश	परिशिष्ट-12,13
26	कृषक प्रशिक्षण लागत का मदवार विवरण	परिशिष्ट-14
27	पैक हाउस के मापदण्ड	परिशिष्ट-15
28	प्याज भण्डारण के मापदण्ड	परिशिष्ट-16,17
29	सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	परिशिष्ट-18



## राष्ट्रीय कृषि विकासयोजना अन्तर्गत उद्यानिकी विकास कार्यक्रमदिशा–निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत बागवानी फसलों–फल, सब्जियां, मसाले एवं फूल व औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के सर्वांगिण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 हेतु अनुदान प्रावधान अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

### सामान्य निर्देश:

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलों/आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावेगा।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संघन क्लस्टर के रूप में किये जाने हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावे।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यथासम्भव स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वय स्थापित किया जावे।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उपनिदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- पौध रोपण सामग्री/बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे। कार्यालय स्तर से कोई आदान क्रय नहीं किया जायेगा।
- सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस से आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक को फसल विशेष की सिफारिश अनुसार परमिटजारी किया जायेगा।
- परमिट/सिफारिश अनुसार कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा करवायी जाकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान स्वयं कृषक के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अन्तर्गत कीटनाशी रसायन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावे। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- योजना कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का सहकारी संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक से आदान प्राप्ती प्रमाणित करवायी जाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त किया जावे।
- अनुदान क्लेमस का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- कृषक सहकारी संस्थाओं से शत प्रतिशत लागत पर आदान क्रय करके भी अनुदान के क्लेमस विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेमस

प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा ।

- योजनाकार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से जमा कराई जायेगी ।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा ।
- योजनानर्तक अनुदान हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। आवेदन पत्र पर संबंधित कृषक/संस्था/लाभार्थी का फोटो व जिस भूमि पर कार्यक्रम/गतिविधि ली जा रही है के भू-स्वामित्व का खसरा नम्बर अंकित करना व मृदा एवं सिंचाई पानी की जांचरिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। यथासम्भव कृषक के मोबाईल नम्बर भी आवेदन पत्र में अंकित करवाये जावें।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इस हेतु लाभार्थी को कानून उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक के स्वयं की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा। रजिस्टर्ड लीज पर अनुदान देय नहीं होगा।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी/खण्ड अधिकारी/निदेशालय को प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति सम्बंधित जिला कार्यालय को आवश्यकरूप से उपलब्ध करायी जावे। जिला अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना स्थल का निरीक्षण कर मय फोटोग्रफ अपनी टिप्पणी से निदेशालय को अवगत कराया जायेगा।
- सम्बंधित जिला कार्यालय द्वारा योजना के तहत लाभार्थियों की कृषक श्रेणीवार डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जायेगी।

## पौध रोपण सामग्री का उत्पादन (Production of Planting Material)

पौध रोपण सामग्री की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्धि के लिये हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी स्थापना पर अनुदान देय है ।

### 1. हाईटेक नर्सरी:

हाईटेक नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 25.00 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी स्थापना पर लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये 40.00 लाख रुपये क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड अनुदानदेय है। हाई-टेक (मॉडल) नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 50000 पौधे प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने होंगे। हाईटेक नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधायें विकसित की जायेगी:-

1. उपयुक्त फैनसिंग
2. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक
3. नेट हाऊस
4. सिंचाई सुविधायें
5. हाईटेक ग्रीन हाऊसजिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
6. हार्डनिंग/रख-रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस
7. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस व कम से कम 2 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए जल भण्डारण टैंक
8. मृदा उपचार के लिये बायलर्स के साथ स्टीम स्टरलाइजेशन प्रणाली

नर्सरी काराष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एकीडेशन (Accreditation) कराना आवश्यक होगा। नर्सरी विकास हेतु सांकेतिक लागत मॉडल निम्नानुसार है:-

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल							
	(राशि लाख रूपयों में)							
	एक हैक्टर	दो हैक्टर	तीन हैक्टर	चार हैक्टर	राशि	राशि	राशि	राशि
फैनसिंग		राशि		राशि		राशि		राशि
मातृ वृक्ष ब्लॉक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधायें		0.80		1.60		2.40		3.20
शेडनेट हाऊस (वर्गमीटर)	1000	7.10	2000	14.20	3000	21.30	4000	28.40
हाईटेक ग्रीन हाऊस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	1000	9.35	2000	18.70	3000	28.05	4000	37.40

कीट रोधी नेट हाउस (वर्गमीटर)	500	4.00	1000	8.00	1500	12.00	2000	16.00
नर्सरी उपकरण/औजार		0.50		1.00		1.50		2.00
सिंचाई सुविधा		0.50		1.00		1.50		2.00
सिंचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.50		3.00		4.50		6.00
मृदा उपचार— बायलर्स स्टीम स्टरलाइजेशन प्रणाली		0.50		1.00		1.50		2.00
<b>कुल योग</b>		<b>25.00</b>		<b>50.00</b>		<b>75.00</b>		<b>100.00</b>

## 2. छोटी नर्सरी:

छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15.00 लाख निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र में एक लाभार्थी को अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 7.50 लाख रुपये क्रेडिट लिंकड बैंक एंडिड अनुदान देय है।

नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 25000 पौधे प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। छोटी नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधायें विकसित की जायेगी:-

1. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉकनेच्यूरली वेन्टीलेटेड ग्रीन हाउससिंचाई सुविधायें।
2. हाईटेक ग्रीन हाउसजिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
3. हार्डनिंग/रख-रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस।
4. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस।
5. मृदा उपचार के लिये स्टरलाइजेशन प्रणाली।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत नर्सरी में बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार है:-

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)	
मातृ वृक्ष ब्लॉक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधायें		0.80
शेडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10
हाईटेक ग्रीन हाउसहाउस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	500	4.68
नर्सरी उपकरण/औजार		0.25
सिंचाई सुविधा		0.50
सिंचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.17
मृदा उपचार— बायलर्स स्टीम स्टरलाइजेशन प्रणाली		0.50

कुल योग

15.00

**प्रक्रिया:**

1. निजी क्षेत्र में हाई-टेक (मॉडल) व छोटी नर्सरी स्थापना के लिये आवेदक (संस्था/कृषक/कम्पनी) को भू-स्वामित्व (Consolidatedland) दस्तावेज, नर्सरी पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं के विवरण सहित लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथविस्तृत परियोजना प्रस्ताव मयबैंक ऋण स्वीकृति पत्र (टर्म लोन)व शपथ-पत्र के साथ जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत करने होंगे। जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. नर्सरी स्थापना के लिये बैंक ऋण अनिवार्य है।इस हेतु परियोजना लागत का लगभग 70-75 प्रतिशत बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (Term loan sanction letter)सलंग्न करना होगा।
3. योजना प्रावधान अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा नर्सरी के बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (LOI) जारी की जायेगी।
4. आवेदक कोनर्सरी सुविधायें विकसित करने का कार्य 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाकर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.), जयपुर को अवगत कराया जायेगा।
5. खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी व सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सयुक्त [निरिक्षण](#) किया जाकर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार अनुदान राशि आवेदनकर्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
6. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अन्त में समायोजित की जायेगी।
7. पौध रोपण सामग्री की आवश्यकता के अनुसार नर्सरी बहु-फलीय या किसी एक फल विशेष के लिये स्थापित की जा सकेगी। परियोजना प्रस्ताव में फलों व किस्मों के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नर्सरी पर उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मातृ पौधें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे।
8. नर्सरी को मातृ वृक्ष व उत्पादित पौध रोपण सामग्री का रिकॉर्ड संधारित करके रखना होगा व इसकी प्रगति से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को अवगत करवाना होगा।
9. नर्सरी के प्रस्तावों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के साथ-साथ फैंसिंग, सर्विस रोड (कच्ची/पक्की), आवश्यक उपकरण आदि भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।
10. नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से संबंधित लागु नियमों के अंतर्गत विनियमित होगी।
11. आवेदक को प्रस्तावित नर्सरी में पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये आवश्यक हाली-माली, तकनीकी जानकारी रखने वाले दक्ष व्यक्ति रखने होंगे।



12. नर्सरी पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनासे अनुदानित का बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष, कुल लागत, मातृ वृक्षों की किस्म/फसल इत्यादि की जानकारी अंकित करना होगा व पौधों की किस्मवार विक्रय दर का बोर्ड लगाना होगा।
13. नर्सरीयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्वेडिशन करवाना होगा।
14. राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी या इसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा नर्सरी का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. नर्सरी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं करने व पौधे उत्पादन कार्य बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि वापस ली जा सकेगी।

### नए उद्यानों की स्थापना(Establishment of new gardens):

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाअर्न्तगत जिलेवार चयनित बागवानी फसलों के लागत मापदण्ड अनुसार नये क्षेत्र विस्तार/नये बगीचों की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलों जैसे- फल, फूल, मसाले तथा सुगंधीय पौधों के नए फल बगीचों की स्थापना हेतु देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

#### 1. फल:

##### अ. सामान्य अन्तराल वाली फसलें:

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हेक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रिप सिंचाई के एकीकरणबिना		ड्रिप सिंचाई के पैकेज/ एकीकरणसहित	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
आंवला	6X6	278	40008	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधों जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधोंजीवितता पर 20 प्रतिशत।	73908	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40,000/- प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिंचाई विधि एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधों जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90प्रतिशत पौधों जीवितता पर 20 प्रतिशत।
बेर	6X6	278	28340		62240	
संतरा, मोसम्बी नीम्बू	6X6	278	40008		73908	
अमरूद	6X6	278	38340		72240	
आम	10X10	100	25500		49000	
अनार	5X5	400	48000		81900	

उक्त समस्त सहायता अनुसूचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जावेगी।

#### कृषक चयन:

1. कृषकों का चयन पहले 'आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जावे।
2. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावे।

3. कृषकों के चयन में यथासम्भव पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
4. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद-बूंद सिंचाई अपनाने पर सहमत हो।

### अनुदान प्रक्रिया:

1. एक कृषक/लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
2. नये फल बगीचे स्थापना आवेदन-पत्र के साथ ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खुदवाये जाने होंगे।
4. गड्डे भरने में उपयोग आने वाले आदान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि स्वयं कृषक के स्तर से उपयोग किये जा सकेंगे। कृषक के स्तर से उपयोग नहीं करने पर निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषक के स्वयं के स्तर से उपयोग करने पर शपथ-पत्र लिया जावेगा।
5. नये फल बगीचों स्थापना में कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) कृषक हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होगी। गोबर की खाद की दर 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, जिसकी वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
6. नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे। जनजाति क्षेत्र के कृषकों की छोटी जोत के मध्यनजर 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे स्थापना पर बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी।
7. ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर फलदार अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जावे
8. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु उन्नत किस्मों की पौध रोपण सामग्री राजहंस द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
9. फलो में नीबू के अलावा अन्य सभी फल बगीचे स्थापना में ग्राफटेड/कलमी पौध रोपण सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
10. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु परिवहन व रोपण के समय मोर्टेलिटी के पेटे प्रति इकाई निर्धारित पौधों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110%) उपलब्ध करये जायेंगे।
11. नये फल बगीचे स्थापना पर अनुदान फलवार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान राशि सीमा के अध्यक्षीन आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे किसान के खाते में किया जाकर कृषक को सूचना दी जावे।

12. द्वितीय व तृतीय वर्ष में गैप फिलिंग हेतु पौधे उपलब्ध कराकर कमशः 75% व 90% पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु भौतिक सत्यापन **परिशिष्ट-2** के अनुसार यथासम्भव मई व जून माह में करवाया जावे।
13. हाई डेनसिटी प्लानटिंगमें पौध रोपण के साथ कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में कृषक को तकनीकी जानकारी/प्रशिक्षण दिया जावे।
14. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान देय होगा।
15. नये फल बगीचो की साइट पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
16. कृषक किसी राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/अर्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाएँ/अनुसंधान केन्द्र/फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा।

नोट:- जिला अधिकारियों को आवंटित फसलवार लक्ष्यों में आवश्यकता होने पर वे स्वयं के स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाअन्तर्गत चयनित फसलों में से किसी भी फसल के लक्ष्यों में वृद्धि कर कुल लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। फल बगीचों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि एक ब्लॉक में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना की जावे। फसलवार परिवर्तित लक्ष्यों का स्वयं के स्तर पर निर्धारण कर इसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

## II. मशरूम उत्पादन:

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉनव कम्पोस्ट इकाई हेतु निम्नानुसार अनुदान देये है।

कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय अनुदान राशि
मशरूम उत्पादन इकाई	20.00 लाख रुपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रुपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैंक एंडिड अनुदान।
स्पॉन बनाने की इकाई	15.00 लाख रुपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.00 लाख रुपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैंक एंडिड अनुदान।
कम्पोस्ट इकाई	20.00 लाख रुपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रुपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैंक एंडिड अनुदान।

1. निजी क्षेत्र में मशरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और इससे संबंधित उपकरणों व स्थापित की जाने वाली स्पॉन व कम्पोस्ट इकाईयो के विवरण सहित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट,

वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू-स्वामित्व दस्तावेज व शपथ-पत्र के साथ प्रस्ताव जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।

- परियोजना प्रस्ताव की लागत की कुल का लगभग 70-75 प्रतिशत तक का बैंक ऋण (बैंक टर्म लोन) लेना अनिवार्य होगा।
- परियोजना प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा इकाई स्थापना का कार्य अधिकतम एक वर्ष अवधि में पूर्ण किया जाना होगा।
- आवेदक द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधियों की प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण करके जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी/राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्धारित कमेटी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार अनुदान राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
- अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
- इकाई पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

### III. फूलों के नये बगीचों की स्थापना:

- फूलों के नये क्षेत्र विस्तार हेतु कृषक को अधिकतम 2.0 हैक्टर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। कार्यक्रम आयोजन के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर रहेगा। फसल एवं कृषक श्रेणीवार देय अनुदान निम्न प्रकार है-

फसल	अनुमानित लागत	कृषक वर्ग	देय अनुदान (रु. प्रति है.)
लूज फलावर (देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलार्डिया)	40,000 रु./है०	छोटे और सीमांत	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 16,000/है.,
		अन्य किसान	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/है.,

- चयनित कृषकों को फूलों की खेती में अपनाये जाने वाली शस्य क्रियाओं, फूलों के विपणन, रख-रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी के लिये तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराया जावे।
- बीज/प्लांटिंग मटेरियल, खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि आदानविभागीय सिफारिश के अनुसार राजहंस/सहकारी समितियों से उपलब्ध कराये जावे। उर्वरक यथासम्भव कृषक के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार प्रयोग कराये जावे।

4. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौध रोपण सामग्री वराशि शेष रहने पर अन्य आदानों पर उपलब्ध करायी जावे।
5. गुलाब पौध रोपण सामग्री राजहंस द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) व वर्मी कम्पोस्ट दर की गणना क्रमशः 1.00 रुपये प्रति किलोग्राम व 1.50 रुपये प्रति किलो से की जावे।
6. नये स्थापित फूलों के बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

#### IV.मसाला फसलों का नयाक्षेत्र विस्तार:

##### अनुदान प्रक्रिया:

1. मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार जहां गत वर्ष खेती नहीं की गयी हो, पर करवायी जावे।
2. कृषकों को फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावे।
3. एक कृषक को न्यूनतम 0.50 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक मसाला फसलों के नये क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
4. कृषकों को आदानों की कुल लागत 13750/- रुपये का 40 प्रतिशतअधिकतम 5500/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।बीज, समन्वित पोषक तत्व/कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदानदेय होगा।

##### आदान व्यवस्था:

1. बीज/कन्द एवं Prophylatic Measuresके रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका प्रदर्शन किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेमस विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
4. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संबन्धित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
5. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जावे (परिशिष्ट-3)।

### v.पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार(Rejuvenation of senile orchards):

फल बगीचों में जीर्ण व पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करके उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने परलागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20000/- रूपये प्रति हैक्टेयर, एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

#### अनुदान प्रक्रिया:

- कार्यक्रम अर्न्तगत ऐसे फल बगीचे जिनमें पर्याप्त पोषण के अभाव अथवा कीट-व्याधि के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम हो गयी या पौधों की संख्या कम है, का जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन किया जायेगा।
- सर्वप्रथम ऐसे बगीचे जिनकी उत्पादकता कम हो गयी है का चिन्हीकरण किया जावेगा।
- बगीचों में वांछित वृक्ष सघनता, संख्या, पर्याप्त पोषण, शस्य क्रिया प्रबंधन एवं उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिये फल बगीचों की जीर्णता/कम उत्पादकता के आधार पर निर्णय किया जाकर जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
- जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन हेतु पुराने बगीचों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिये निम्न कार्य करवाये जा सकेंगे:-
  - ❖ पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौध रोपण सामग्री।
  - ❖ पुराने वृक्षों की कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं को अपनाने के लिए।
  - ❖ उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं वृद्धि नियामक हारमोंस आदि।
  - ❖ पौध संरक्षण रसायन-रासायनिक एवं जैविक कीटनाशी, फफूंदनाशी।
  - ❖ कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं के लिये उद्यानिकी टूल्स।
- पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य आदान कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
- अनुदान की गणना के लिये बगीचे में किये जाने वाले सभी कार्यों का आंकलन करके उन पर व्यय होने वाली राशि व श्रम की राशि (प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित) तय की जावें। इसमें मजदूरी व आदानों की खरीद दोनों सम्मिलित की जा सकेगी।
- कृषक द्वारा किये गये कार्यों के पेटे श्रम की राशि व गोबर की खाद की राशि को कृषक हिस्सा राशि मानते हुये अन्य आदान कृषक द्वारा सहकारी संस्थाओं से क्रय करके बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान राशीRAGS कृषक के बैंक खते में हस्तातरित की जावें। जीर्णोद्धार कार्यों के अनुसार कृषकों को अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन किश्तों में विभक्त किया जा सकेगा।
- फलदार पौधे व बगीचे की आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का शिड्यूल बनाकर कृषकों से कार्य पूर्ण करवाते हुये प्रमाणीकरण उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जावें।

9. जीर्णोद्धार किये गये फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।



## VI. जलस्रोतों का विकास (Creation of water resources):

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई (Life saving Irrigation) सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्रोत विकास पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

### अ. सामूदायिक जल स्रोतों का विकास:

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3 मीटर साइज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्धारित BIS मापदण्ड की न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आर.सी.सी लाइनिंग से निर्माण पर इकाई लागत 20.00 लाख रुपये प्रति इकाई का शत प्रतिशत या अन्य छोटी साइज के जल स्रोत निर्माण पर कमाण्ड के अनुसार यथा अनुपात (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। (कृषक समूह के द्वारा स्वामित्व तथा मैनेजमेंट)

### ब. एकल जल स्रोत/फार्म पौण्ड:

एकल कृषक द्वारा दो हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र के लिये 20 मीटर लम्बाई, 20 मीटर चौड़ाई व 3 मीटर गहराई आकार के फार्म पौण्ड/Dug well BIS मापदण्ड अनुसार 300 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आरसीसी लाईनिंग से निर्माण पर इकाई लागत 1.50 लाख रुपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रुपये अनुदान देय है। इससे छोटे आकार के पौण्ड/टैंक के लिये कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर यथा अनुपात आधारित (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। जलस्रोत के साज-संभाल की जिम्मेवारी सम्बंधित कृषक की रहेगी। है।

### जलस्रोतचयन प्रक्रिया:

1. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हैक्टर तथा एकल कृषक के लिये कृषक के पास दो हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक होगा। कृषक समूह के पास एक स्थान पर इससे कम भूमि होने पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जल स्रोत का निर्माण कर सकेगा एवं आनुपातिक रूप से जल स्रोत का आकार भी कम किया जाकर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
2. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। इसके साथ ही जहां तक संयुक्त खातेदार का प्रश्न है पत्नी को समूह का सदस्य नहीं माना गया है। ऐसे में जमाबन्दी में पति व पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में दोनों में से एक को सदस्य मानते हुये जमाबन्दी के संयुक्त खाते में उल्लेखित पुत्र,

पुत्री, भाई जो अलग परिवार के रूप में निवास कर रहे हैं उन्हें समूह का सदस्य माना जायेगा।

3. एकल कृषक/कृषक समूह के कृषको को भू-स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबन्दी (6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेज आवेदन पत्र के साथ सलंगन करने होंगे।
4. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक/कृषक समूह को उनके भू-स्वामित्व के हिस्से की भूमि उपलब्ध करानी होगी।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लिए 4 हैक्टर क्षेत्र अनुसार यथानुपातसूक्ष्म सिंचाई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती का अनुबंध किया जावे व इस हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी में अग्रिम जमा की जावे।
6. कृषक समूह द्वारा जमीन के रकबे के हिसाब से जलस्रोत में पानी की हिस्सेदारी रखने व रख-रखाव/मरम्मत की करवाने की सहमती का शपथ-पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।
7. जलस्रोत निर्माण के लिये इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करके उन पर वरिष्ठता के अनुसार रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित की जावे। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
8. जल स्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्षा जल की आवक के अनुसार उपयुक्त साईट्स का चयन सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान सम्भाग की अध्यक्षता की तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक कृषि अभियंता सम्मिलित होंगे के द्वारा किया जावेगा।
9. व्यक्तिगत जल स्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये उपयुक्त साईट्स का चयन सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी की कमेटी द्वारा किया जावेगा।
10. कमेटी द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त जलस्रोत निर्माण आवेदन पत्रों की मौका स्थिति व इसके लिये आवश्यक दस्तावेज देखे जाकर पानी की आवक के आधार पर चयन की सिफारिश की जावेगी।
11. कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के बाद शेष आवेदन पत्र/पत्रावलियों का क्रम पूर्व में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार रखा जावे।
12. एकल व सामूहिक जल स्रोत निर्माण में निर्धारित बी.आई.एस. मापदण्ड अनुसार क्रमशः 300 माइक्रोन व 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म इस संदर्भ में जारी निर्देशानुसार उपयोग करायी जावे।
13. कृषक समूह/कृषक द्वारा प्लास्टिक फिल्म के साथ जल स्रोत निर्माण पर अनुदान का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तों में किया जावे:-

कार्य	सहायता
जल स्रोत की खुदाई पूरी होने पर	20 प्रतिशत
प्लास्टिक शीट बिछावन पूर्ण होने पर	50 प्रतिशत
जल स्रोत का कार्य पूर्ण होने व अन्तिम भौतिक सत्यापन पश्चात	30

	प्रतिशत
--	---------

14. आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत की अनुदान राशि का भुगतान निम्नानुसार 5 किस्तों में किया जावे:-

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1	नींव (Foundation) में निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार फर्श का कार्य पूर्ण करने पर	30 प्रतिशत
2	जलस्रोत की चार में से एक साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
3	जलस्रोत की चार में से दूसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
4	जलस्रोत की चार में से तीसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
5	जलस्रोत की चार में से चौथी व अन्तिम साईड एवं जलस्रोत के चारों तरफ पैरापेट वाल पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट /पत्थर सीमेन्ट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	25 प्रतिशत

15. यदि कृषक/कृषक समूह द्वारा एक से अधिक किस्त का कार्य पूर्ण कर लिया हो तो उसे कार्य के अनुसार भुगतान किया जावे।
16. कृषक समूह द्वारा शपथ-पत्र में दी गयी सहमति की अवेहलना करने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जलस्रोत पर व्यय की गयी राशि वसूल की जा सकेगी।
17. जल संग्रहण ढांचे में एकत्रित वर्षा के पानी का ड्रिप, फव्वारा आदि जल बचत के साधनों के माध्यम से सदुपयोग सुनिश्चित किया जावे।
18. जलस्रोत निर्माण में जहां संभव हो मनरेगा के साथ कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर क्रियान्वित किया जा सकेगा।

### जलस्रोतनिर्माण

1. जलस्रोत ढांचे का निर्माण संबंधित जिलाधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्धारित तकमीने के अनुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार कृषक समूह के स्वयं के द्वारा करवाया जावे।
2. जल स्रोत निर्माण के पर्यवेक्षण व माप का कार्य इस हेतु जारी निर्देशानुसार अभियन्ताओं के द्वारा करवाया जावे।
3. जल स्रोत निर्माण के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, सम्बन्धित सम्भाग के द्वारा किया जावे।
4. जलस्रोत निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार व उसके सही ढंग से बिछावन का विशेष ध्यान रखा जावे। इसके साथ ही प्रयोग की गयी पॉलीथीन शीट्स का नमूना जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे।

5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण की स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक मापदण्ड/प्रक्रिया से अवगत कराने के एक माह के भीतर कार्य शुरू करने की अनिवार्यता रहेगी। इस अवधि में कार्य शुरू नहीं करने पर 15 दिन का समय देकर चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अमल में लायी जायेगी।
6. जलस्रोत निर्माण के लिये अधिकतम अवधि 4 माह निर्धारित की जावे ताकि निर्धारित वित्तीय वर्ष में जलस्रोत का निर्माण पूर्ण करवाया जाकर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
7. जलस्रोत निर्माण कार्य की कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एम.बी. भरकर संबंधित हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अनुदान राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावेगी। कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एमबी भरकर प्रस्तुत करने पर अधिकतम सात दिवस में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कृषक समूह के बैंक खाते में केवल RTGS के माध्यम से किया जावे जलस्रोत निर्माण के पूर्ण होने पर सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, संभाग, सदस्य सचिव सम्बंधित जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक अभियंता कृषि की तीन सदस्यीय कमेटी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावे।
8. भौतिक सत्यापन के उपरांत जलस्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण पाये जाने पर कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट के बाद अनुदान राशि की अंतिम किश्त का भुगतान किया जावे।
9. व्यक्तिगत जल स्रोत का निर्माण के पूर्ण होने पर सदस्य सचिव, जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
10. जलस्रोत ढांचे के चारो तरफ ढाई से तीन फीट ऊंचाई की बण्ड/दीवार/फेन्सिंग जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाई जावे।
11. जलस्रोत पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

## VII. संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक— तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की हेतु ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्विंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

### (क) ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापना:

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2016–17 में लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचितजनजाति कृषको को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान देय है:—

कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
<b>ग्रीन हाऊस</b>		
ब) प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना— ट्यूबुलर संरचना	(i) 500	1060
	(ii) >500-1008	935
	(iii) >1008-2080	890
	(iv) >2080-4000	844
<b>शेडनेट हाऊस</b>		
ट्यूबुलर संरचना	(i) 1000-4000	710

इस निर्धारित इकाई लागत में राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तों अनुसार सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधाओं के साथ ग्रीन हाऊस (पाली हाऊस) एवं शेडनेट हाऊस निर्माण विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से करवाये जाने पर अनुदान देय है।

ग्रीन हाऊस व शेडनेट हाऊस मय सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधायें, पम्प एवं मल्विंग की लागत सम्मिलित है को राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तों विभाग द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी।

### अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक/संस्था/कम्पनी जो ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जायेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।

3. ग्रीन हाऊस (पाली हाउस)/शेडनेट हाउस का निर्माण राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड (Empanelled) फर्मों से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर अनुदान देय होगा।
4. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाने वाले कृषक/लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं रहेगी।
5. कृषक को बैंक ऋण की आवश्यकता होने की स्थिति में उप/सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से एलओआई जारी की जायेगी। बैंक द्वारा ग्रीन हाऊस निर्माण लागत में से कृषक हिस्सा राशि सीमा तक ऋण दिया जायेगा।
6. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की कृषक हिस्सा राशि निर्माणकर्ता फर्म/संबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को भी जमा कराई जा सकती है। कृषक द्वारा हिस्सा राशि फर्म को जमा कराने पर फर्म द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद कृषक को दी जावेगी व एक फोटो प्रतिसंबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को भी प्रस्तुत की जावेगी।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भू-स्वामित्व दस्तावेज, लघु सीमान्त प्रमाण-पत्र, मिट्टी व पानी जांच रिपोर्ट एवं एम्पेनल फर्म के लागत कोटेशन के साथ ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के उपरांत अधिकतम एक माह में भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
10. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर संयुक्त कमेटी रिपोर्ट के अध्यक्षीन अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
11. अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर ग्रीन हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
12. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो समाधान किया जायेगा।
13. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

### ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण प्रक्रिया:

1. आवेदक द्वारा अपने निम्न दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय ऑन लाइन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा:—
  - ❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
  - ❖ नक्शा ट्रेस
  - ❖ मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट।
  - ❖ ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउसनिर्माण लागतएम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
  - ❖ लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो।
2. कृषक के आनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा व कृषक को उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक की जानकारी दी जावेगी।
3. आवेदक के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश में कृषक का रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित किया जायेगा।
4. प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के पश्चात् सम्बंधित फर्म द्वारा अधिकतम 30 दिवस में ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउसनिर्माण सामग्री साइट पर आपूर्ति की जाकर जिला कार्यालय व कृषक को अवगत कराया जायेगा।
5. जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की निर्माण पूर्व मापदण्ड अनुसार होने की जांच की जायेगी।
6. फर्म द्वारा 30 दिवस तक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं करने पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश निरस्त किया जाकर कृषक की सहमति से अन्य फर्म की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जावेगा।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस में पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिला अधिकारी द्वारा सम्बंधित निर्माणकर्ता फर्म के सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत शास्त्रि (Penalty) लगायी जावेगी।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात् खण्डीय सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा।
9. भौतिक सत्यापन के समय ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पूर्ण रूप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्ड अनुसार अन्य सभी सुविधायें विकसित करने पर कमेटी रिपोर्ट के अध्यक्षीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. भौतिक सत्यापन के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति पर सीधे निर्माता कम्पनी को किया जायेगा।

### (ख) प्लास्टिक मल्लिंग:

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्लिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्ल की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 16000/- प्रति हैक्टेयर

की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में प्लास्टिक मल्व उपयोग करने पर प्रति हैक्टेयर प्रयोग की गई मल्व शीट की लागत 16000/-रूपये प्रति हैक्टर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

#### (ग) प्लास्टिक टनल:

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में लॉ-टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 60/-रूपये प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान देय है। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

#### (घ) एन्टी बर्ड नेट:

उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु एन्टी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में एन्टी बर्ड नेट उपयोग करने पर अनुमानित लागत 35/-रूपये प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिये अनुदान देय है।

#### प्लास्टिक मल्व, लॉ-टनल, एन्टी बर्ड नेट अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
2. एन्टी बर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिये जिस पर वह एन्टी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
3. आवेदक को एन्टी बर्ड नेट व प्लास्टिक टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो कि स्थायी प्रकृति का होगा।
4. एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्व/ला-टनल लगवाये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी होगी एवं फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
5. जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्व/लॉ-टनल टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।



6. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त कृषक का सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधे एम्पेनल फर्म को दी जा सकेगी।

**(ड) संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस एवं फूलों की रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान:**

1. संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत पॉली हाउस, ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस तथा गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम फूलों की खेती करने वाले कृषकों को रोपण सामग्री व काश्त की निर्धारित कुल सांकेतिक लागत का योजना प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा पत्रांक F. No. 18-33/ 2014-NHM दिनांक 28.08.2014 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के एनेक्सर v के अनुसार देय होगा। इस संबंध में फसलो की सांकेतिक लागत **परिशिष्ट- 6 व 7** पर संलग्न है।
2. कृषक/लाभार्थी को राष्ट्रीय बागवानी मिशन संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की रोपण सामग्री व काश्त हेतु निर्धारित अधिकतम अनुमानित लागत (हाई वैल्यू वैजिटेबलस 140/- रुपये प्रति वर्ग मीटर, कार्नेशन व जरबेरा 610/- रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं गुलाब व लिलियम 426/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) के अध्यक्षीन इस हेतु निर्धारित सांकेतिक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए अनुदान देय होगा।
3. इच्छुक कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों में से इस लागत के 50 प्रतिशत राशि के आदानों पर अनुदान देय होगा एवं शेष आदानों की लागत स्वयं कृषक/लाभार्थी को वहन करनी होगी। सांकेतिक लागत में पौध रोपण सामग्री की लागत फसल/किस्म विशेष के लिए इस हेतु रजिस्टर्ड फर्मस की दर के अनुसार परिवर्तनिय होगी।
4. कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित रोपण सामग्री विभाग द्वारा रजिस्टर्ड फर्मस तथा रासायनिक उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन सहकारी समितियों से क्रय कर बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा गोबर की खाद्य, मानव श्रम व सांकेतिक लागत में उल्लेखित अन्य सभी सहायक कार्य स्वयं कृषक के स्तर से किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. इच्छुक कृषक/लाभार्थी द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए निर्धारित प्रपत्र में सब्जी/फूलों की फसल, किस्म व क्षेत्रफल अंकित करते हुए मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक कृषक/लाभार्थी के आवेदन पत्र अनुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण क्षेत्रफल की जांच उपरान्त जिला कार्यालय द्वारा योजना दिशा-निर्देशानुसार रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

7. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कृषक/लाभार्थी को रजिस्टर्ड फर्म द्वारा रोपण सामग्री उपलब्ध कराने पर सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर जिला कार्यालय स्तर से उप/सहायक निदेशक व कृषि अधिकारी एवं स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक की कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुदान देय होगा। रोपण सामग्री की अनुदान राशि संबंधित फर्म व अन्य आदानों की राशि कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी।
8. कृषक/लाभार्थी के स्वयं की लागत से रजिस्टर्ड फर्म से रोपण सामग्री क्रय करके ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में रोपण उपरान्त सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर ही आवेदक योजना प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा। कृषक/लाभार्थी रजिस्टर्ड फर्म से दर निगोशियेट करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. पौध रोपण सामग्री कृषक द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजहन्स नर्सरी, राजस्थान ओलिव कन्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मों में से किसी भी फर्म से प्राप्त की जा सकती है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से पौध रोपण सामग्री लिये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगा। सब्जियों एवं फूलों की पौधरोपण सामग्री प्राप्त किये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी एवं जिस संस्था/फर्म से पौध रोपण सामग्री ली जानी है उस फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
10. कमेटी द्वारा कृषक/लाभार्थी के यहां आपूर्ति की गई पौध रोपण सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता तथा उपयोग में लिए गये आदानों का सत्यापन किया जावेगा।
11. सत्यापन कमेटी में उल्लेखित कार्मिकों में से किसी पद के रिक्त होने/पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में कृषि विभाग में कार्यरत उसके समकक्ष पद के अधिकारी/कार्मिक को कमेटी में सम्मिलित किया जावेगा।
12. एक कृषक/लाभार्थी ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस के क्षेत्रफल की सीमा तक हाई वैल्यू वैजिटेबलस की पौध रोपण सामग्री व काश्त पर एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा तथा जरबैरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की रोपण सामग्री व काश्त के लिए बहुवर्षी फसल अवधि के लिए एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा।
13. राज्य की कृषि जलवायु स्थिति के अनुसार पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता, True to type अनुवांशिकता व उपयुक्तता के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्थान/रजिस्टर्ड फर्म जिम्मेदार होगी। पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता व अनुवांशिकता में अन्तर होने पर पूर्णतया आपूर्तिकर्ता फर्म की जिम्मेदारी होगी एवं विभाग फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

14. योजना कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्थान/रजिस्टर्ड फर्म द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में खेती किये जाने वाली किस्मों की ही रोपण सामग्री आपूर्ति की जावेगी।
15. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती की पैकेज प्रेक्टिसेज फसल/किस्म विशेष के अनुसार आपूर्तिकर्ता रजिस्टर्ड फर्म द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई जावेगी।
16. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती करने वाले कृषकों को विभाग के स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा नियमित रूप से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी एवं इसकी मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
17. जिला कार्यालय द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण रिकार्ड संधारित करके रखा जावेगा।

### VIII.समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना (IPM/INM):

समन्वित पौषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम)/समन्वित कीट प्रबंध (आई.पी.एम) को बढ़ावा देने हेतु लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1200/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

#### अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक समन्वित कीट प्रबंध व समन्वित पौषक तत्व प्रबंध हेतु अनुदान का पात्र है किन्तु एक कृषक को अधिकतम 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक अनुदान देय नहीं होगा ।
2. उद्यानिकी फसलों की आई.पी.एम. सिफारिशें एवं सांकेतिक लागत मोड्यूल **परिशिष्ट 8** एवं **परिशिष्ट 9** अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अलावा इस हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित आई.पी.एम. मोड्यूल कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/विभागीय ग्राह्य परीक्षण केन्द्र के वैज्ञानिकों की सिफारिश क्रियान्वित किये जा सकेंगे।
3. आई.पी.एम. मोड्यूल में बायोपेस्टीसाइड्स जैसे बेसीलस थुरिन्जेन्सिस, एन.पी.वी., ट्राइकोकार्ड्स, ट्राइकोडरमा, नीम आधारित कीटनाशी, फिरोमोन ट्रेप, लाईट ट्रेप आदि पर अनुदान दिया जा सकेगा।
4. कार्यक्रम में बायोपेस्टीसाइड से कीट प्रबंध नहीं होने की स्थिति में ही कीटनाशी रसायनों को अंतिम विकल्प के रूप में काम में लिया जावे। जिलाधिकारी राजकीय/सहकारी संस्थाओं के स्तर पर समयबद्ध आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित की जावे, ताकि कृषक वहां से आदान क्रय कर अनुदान के क्लेमस विभाग को प्रस्तुत कर सकें। कृषक को अनुदान राशि का आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।
5. कृषक द्वारा अपना अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर सीधे आदान प्राप्त करके आवेदन करने पर अनुदान का भुगतान आपूर्ति संस्था को किया जावेगा। कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा परमिट काटा जावेगा (**परिशिष्ट-4**)।
6. निर्धारित भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वित्तीय बचत की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाकर वित्तीय लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जावे।

### IX.वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/- रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12फीटx4फीट x2फीट आकार) IS 15907:2010 स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000- / रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है ।

#### कृषक चयन:

1. जैविक आदान उत्पादन हेतु जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर स्वयं की भूमि पर बागवानी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो ।

#### (क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन:

1. वर्मी कम्पोस्टइकाई की स्थापना के लिये 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापनापर अनुदान देय होगा।
2. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावे।
3. पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे से 8 फिट हो।
4. एक इकाई के लिये कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावे।
5. केंचुए एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावे।
6. प्रत्येक बेड में 400-400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावे।
7. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे- कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा झाजा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावे।
8. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावे।
9. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम सेकिया जावे।
10. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 10 रूपये के स्टाम्प पर का शपथ-पत्र लिया जावे।
11. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावे। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावे।

**(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेड:**

1. एच.डी.पी.ई वर्मी बेड (IS15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।
2. वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था
3. वर्मी बेड एक इकाई के लिये 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
4. कृषक द्वारा निर्धारित साइज वा IS15907:2010 की वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावे।
5. प्रत्येक कृषक को वर्मी कम्पोस्ट इकाई/एच.डी.पी.ई वर्मी बेड में जैविक आदान उत्पादन की तकनीकी जानकारी दी जावे।

### X.मधुमक्खी पालन (Bee-Keeping):

मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा कम से कम 2000 मधुमक्खी कॉलोनियां प्रति वर्ष उत्पादन करने पर इकाई लागत राशि रूपये 10.00 लाख का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत 2000 रूपये पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बाक्स पर अनुदान देय है।

#### कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्था:

मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावे—

वांछित कार्यवाही	मधुमक्खी कॉलोनी	मधुमक्खी पालन बॉक्स
स्पेशिफिकेशन	एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते हैं जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते हैं। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो।	एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है। इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं। दोनों में 10-10 फ्रेम लगे होते हैं। हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे।
कैटेगिरी एवं सीमा	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/मधुमक्खी पालकों को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावे। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है।	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/मधुमक्खी पालकों को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावे। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है।
विभागीय अनुदान	कॉलोनी के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।	मधुमक्खी पालन बॉक्स के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

<p><b>कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था</b></p>	<p>कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स (बी-ब्रीडर्स) की जिला मुख्यालय दर आमंत्रित कर बी-ब्रीडर पंजीकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावे। कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास कॉलोनीयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे, ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बी-ब्रीडर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावे।</p>	<p>मधुमक्खी पालन बॉक्स की व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स की जिला मुख्यालय दर आमंत्रित कर सप्लायर्स को पंजीकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावे। यह उल्लेखनीय है कि कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी पालन बॉक्स प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। ऐसी स्थिति में सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बॉक्स सप्लायर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावे।</p>
<p><b>पंजीकरण शुल्क</b></p>	<p>मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर (बी-ब्रीडर्स) की संख्या बढ़ाने हेतु जिले में ज्यादा से ज्यादा बी-ब्रीडर पंजीकृत किये जावे। प्रत्येक बी-ब्रीडर्स से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।</p>	<p>प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।</p>
<p><b>सिक्यूरिटी राशि</b></p>	<p>पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि</p>	<p>पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि</p>



	भी प्रत्येक बी-ब्रीडर्स से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। कॉलोनी का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।	भी प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। बॉक्स का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
<b>सत्यापन</b>	कृषको को मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें।	कृषको को मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65%सहायक कृषि अधिकारी, 40%कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
<b>मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटी</b>	मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय-समय पर पंजीकृत बी-ब्रीडर्स एवं लाभान्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें। इस हेतु जिले के सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के./अनुसंधान केन्द्र/सयुक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जावें।	
<b>अनुदान भुगतान</b>	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।

### अनुदान प्रक्रिया:

मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में

अनावश्यक विलम्ब न हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा-निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 11 से 13 पर संलग्न है।

### XI. उद्यानिकी में यांत्रिकरण

फसल उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता को बढ़ाये जाने हेतु उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत कृषकों, उत्पादक संघ, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (कम से कम 10 सदस्य) जो बागवानी फसलों की खेती करते हैं को शक्ति चालित उपकरणों पर निम्नानुसार अनुदान देय है:-

क्र. सं.	कार्यक्रम	कुल लागत	देय अनुदान
1	ट्रेक्टर (20 पी. टी.ओ. तक) रोटावेटर/ उपकरण सहित	रूपये 3.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 75000/- प्रति उपकरण। अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, लघु वं सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 100000/- प्रति उपकरण
2	ट्रेक्टर/ पावरचलित मशीन (20 बी.एच.पी. तक)		
	(अ) भूमि विकास, जोत एवं सीड बेड तैयारी उपकरण	रूपये 30000/- प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/- प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/- प्रति उपकरण
	(ब) बुवाई, रोपाई एवं खुदाई उपकरण	रूपये 30000/- प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/- प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/- प्रति उपकरण
	(स) प्लास्टिक मल्व बिछाने की मशीन	रूपये 70000/- प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 28000/- प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 35000/- प्रति उपकरण
	(द) स्वचालित बागवानी मशीनरी	रूपये 2.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 100000/- प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 125000/- प्रति उपकरण

#### अनुदान प्रक्रिया:

1. योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषि विभाग की जिला स्तर पर गठित कमेटी में यंत्रों का रजिस्ट्रेशन करवाकर अथवा कृषि विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर पहले से

रजिस्टर्ड यन्त्रों पर योजना दिशा-निर्देशानुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

2. ऐसे कृषि यन्त्र जो लोकल फेबरीकेटर्स द्वारा नहीं बनाये जाते एवं जिनका BIS/ISI जारी है उन्हें इच्छुक कृषक निर्माता फर्म का कोटेशन प्राप्त कर कृषि यन्त्र सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
3. कृषक द्वारा BIS/ISI प्रमाणित निर्माता फर्म से यंत्र के कोटेशन के साथ आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थी कृषक को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा यंत्र क्रय कर इसकी सूचना जिला कार्यालय को मय मूल बिल के साथ दी जायेगी।
5. कृषक द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर जिला स्तर पर कम से कम दो सदस्यीय कमेटी द्वारा यंत्र/उपकरण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. भौतिक सत्यापन में कमेटी द्वारा यंत्र के प्रस्तुत बिल में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर कमेटी की सिफारिश पर उद्यान विभाग के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
7. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पावर मशीनस् मय उपकरण जिस पर योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही के ऊपर "राष्ट्रीय कृषि विकास योजनावर्ष 2016-17 से अनुदानित" अंकित करवाया जाये।
8. योजना के तहत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक लाभार्थी का यंत्र व उपकरण के साथ फोटोग्राफ लिया जाये जिसे भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा सत्यापित किया जाये।
9. लाभार्थी से 100 रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वह अनुदानित पावर मशीनस् व उपकरणों न्यूनतम 5 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा।

## XII.मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development):

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषको, फील्ड स्तर के कार्मिको व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/- रूपये प्रति कृषक व्यय की जा सकेगी।

### कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

#### सामान्य निर्देश:

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार दो दिवसीय होंगे व प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी/या अन्य स्थान जहां प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है पर आवंटित लक्ष्यो के अनुसार आयोजित करवाया जावे।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावे।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावे।
5. प्रशिक्षण एक से अधिक दिन की अवधि का होने पर कृषकों को रात्री विश्राम प्रशिक्षण स्थल पर ही कराया जावे। कृषकों को रात्री में विडियो फिल्मस प्रदर्शन के माध्यम से भी कृषि तकनीक की जानकारी दी जावे।
6. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
7. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवे।
8. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सार्केतिक माडल **परिशिष्ट 14** पर संलग्न है।

#### कृषक चयन:

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावे। कृषक चयन में नये फल बगीचे अन्य कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
2. प्रशिक्षणो के द्वारा समय-2 परयथासम्भव जिले सभी क्षेत्र के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावे।
3. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावे, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सकें।

4. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावे।
5. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हो, को सम्मिलित नहीं किया जावे।

### प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दु:

प्रशिक्षण में संबंधित तकनीकी विषय के साथ-साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावे। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य-मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावे।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसलचक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्म तत्व, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावे।

**नोट:** प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावे तथा समय-समय पर उनसे दूरभाष पर सम्पर्क भी किया जावे, जाकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

**XIII.समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन (Post Harvest Management):**

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लागत	अनुदान
पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई (9 मीटर X 6 मीटर)	रुपये 4.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मै.टन)	रुपये 1.75 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत

**पैक हाउस :**

सब्जी एवं फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु पैक हाउस की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है—

1. कृषक जो कम से कम 1 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन या 1 हैक्टेयर क्षेत्र में तीन वर्ष से पुराना फल बगीचा स्थापित होएवं पैक हाउस लगाकर उद्यानिकी फसलों की ग्रेडिंग एवं पैकिंग करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक पैक हाउस के लिये अनुदान देय होगी।
3. पैक हाउस की निर्माण लागत 4.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
4. पैक हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. पैक हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का पैक हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पैक हाउस का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। पैक हाउस की निर्माण एवं पैक हाउस हेतु आवश्यक उपकरण की सांकेतिक लागत का माडल परिशिष्ट 15 पर संलग्न है।
7. पैक हाउस निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पैक हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

**कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना :**

1. कृषक जो प्याज की खेती कर रहे है एवं कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।

2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण लागत 1.75 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 0.875 लाख अधिकतम सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम भू स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक संरचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण की डिजाईन एवं सांकेतिक लागत का विवरण परिशिष्ट 16 एवं 17 पर संलग्न है।
8. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे के द्वारा किया जावेगा।
9. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGSके माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
10. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

#### XIV.सेमीनार/वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यकता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक सांकेतिक माडल परिशिष्ट 18 पर संलग्न है।